न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 242/2025 | दायर दिनांक 01.05.2025 | निर्णय दिनांक 02.06.2025

1. श्री गोविन्दराय पुरोहित पुत्र लक्ष्मीनारायण पुरोहित निवासी तिलक नगर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा

—— प्रार्थी

बनाम

1. अब्दुलकरीम पुत्र रूस्तम मेवाती जाति मेवाती निवासी श्रीपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।
2. श्री कालुलाल पुत्र बालु लाल दरोगा निवासी श्रीपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।
3. श्री राजेन्द्र कुमार पिता रामस्वरूप अग्रवाल निवासी प्लाट नं. 209 राणी सती नगर विश्वकर्मा मार्ग अजमेर रोड़ जयपुर।
4. श्री विरेन्द्र पिता लालाराम अहीर निवासी श्रीपुरा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटड़ी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा ।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी श्री रामपाल बाल्दी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 4 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीपुरा पटवार हल्का जीवा का खेडा तहसील कोटडी जिला–भीलवाड़ा की सरहद मे प्रार्थी की कृषि आराजिया स्थित है जिसका विवरण खाता संख्या 33 में वर्णित खसरा संख्या 180/7 रकबा 1.1343 हेक्टेयर, खसरा संख्या 305/182 रकबा 3.1869 हैक्टर कुल किता 02 रकबा 4.3212 भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और प्रतिवादी के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः नायब तहसीलदार बडलियास को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम श्रीपुरा पटवार हल्का जीवा का खेडा तहसील कोटडी जिला–भीलवाड़ा की सरहद मे प्रार्थी की कृषि आराजियात स्थित है जिसका विवरण खाता संख्या 33 में वर्णित खसरा संख्या 180/7 रकबा 1.1343 हेक्टेयर, खसरा संख्या 305/182 रकबा 3.1869 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 4.3212 भूमि स्थित है। भूमि कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी नं हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कोटडी को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12-06-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा